

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-5/स्थानांतरण/वि.विषय/2019-20/1-26 दिनांक-29.09.2019 के तहत शंकर सिंह, व्याख्याता, भूगोल राउमावि कंकराला नाडा जोधपुर का स्थानांतरण राउमावि सिवांची गेट सीएचबी, जोधपुर एवं रामकिशोर व्यास व्याख्याता भूगोल का स्थानांतरण राउमावि सिवांची गेट सीएचबी, जोधपुर से राउमावि भूंडाना, जोधपुर किया गया। रामकिशोर व्यास ने इस स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. याचिका संख्या 15996/19 रामकिशोर व्यास, बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या 15996/19 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 22.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानांतरण आदेश दिनांक 29.9.19 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी रामकिशोर व्यास के संबंध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित कर शंकर सिंह व्या. भूगोल का समायोजन राउमावि. सियारा पीपाड शहर जोधपुर किया गया। तत्पश्चात शंकर सिंह द्वारा उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 18096/2019 दायर की गई जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2019 द्वारा याचिकार्थी शंकर सिंह को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश करने तथा अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में इसे विभागीय दिशा निर्देशों एवं नियमों के अन्तर्गत एक आख्यात्मक आदेश (SPEAKING ORDER) प्रसारित कर निस्तारण करने तथा ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने के आदेश प्रदान किये।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्णय के क्रम में याचिकार्थी शंकर सिंह, व्याख्याता, भूगोल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर पारिवारिक कारणों से अपना पदस्थापन राउमावि बांगड, पाली के रिक्त पद पर किये जाने की परिवेदना प्रस्तुत की गई।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी शंकर सिंह, व्याख्याता, भूगोल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का गहनता से परीक्षण एवं मनन किया गया। याचिकार्थी की प्रतिकूल पारिवारिक परिस्थितियों के कारण इनका पदस्थापन/समायोजन राउमावि बांगड, पाली व्याख्याता भूगोल के रिक्त पद पर किया जा कर अभ्यावेदन का निस्तारण किया जाता है। सभी पक्षकार सूचित हो।


(हिमांशु गुप्ता)

आई.एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-5/अभ्यावेदन/19-20/

दिनांक:-20/11/2020

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 01 विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
- 02 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 03 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
- 04 संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, को सूचनार्थ।
- 05 जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
- 06 विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- 07 सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
- 08 संबंधित प्राधानाचार्य/कार्मिक/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान